इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 297] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2017—आषाढ़ 9, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30/06/2017

क्रमांक एफ ए 3–38/2017/1/पांच (44)

राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (क्र. 19 सन 2017) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, रक्षा मंत्रालय के अधीन कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीएसडी कहा गया है) को, ऐसे व्यक्ति के रूप में, जो इसके द्वारा ऐसे माल की सीएसडी कैंटीन की यूनिट रन कैंटीन या सीएसडी कैंटीन के प्राधिकृत उपभोक्ताओं के लिए ऐसे माल की पश्चातवर्ती प्रदाय के प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा प्राप्त माल की सभी आवक पूर्ति पर संदत्त लागू राज्य कर के पचास प्रतिशत के प्रतिदाय के दावे को करने का हकदार होगा, विनिर्दिष्ट करती है ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

क्रमांक एफ ए 3–38/2017/1/पांच भोपाल, दिनांक 30/06/2017

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3– 38/2017/1/पांच (44), दिनांक 30 जून, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

NOTIFICATION

No. F A 3-38/2017/1/FIVE(44) Bhopal, Dated : 30/06/2017

In exercise of the powers conferred by section 55 of the State Goods and Services Tax Act, 2017 (No.19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies the Canteen Stores Department (hereinafter referred to as the CSD), under the Ministry of Defence, as a person who shall be entitled to claim a refund of fifty per cent. of the applicable state tax paid by it on all inward supplies of goods received by it for the purposes of subsequent supply of such goods to the Unit Run Canteens of the CSD or to the authorized customers of the CSD.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.